FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ..... मुकाम .....

जेठाराम ..... बनाम दुर्गाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR नं. 11/2022 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04/01/2022 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रतनाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/02/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 08/02/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवरी रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगणों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-14/03/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |

14/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण
बावजूद सूचना अनुउपस्थित। न्यायालय समय
तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज
5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं
या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित
नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है
अतः वास्ते बहस पश्चात तिथि 23/03/2022
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायसु

तारीख हुक्म

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23/03/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।<br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। | |

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक : वाद / 2022 / 193 दिनांक : 23/3/2022

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. जेठाराम पुत्र गुमनाराम, जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा (बाड़मेर) | | 1. दुर्गाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 12, जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा (बाड़मेर) |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

**राजस्व आवेदन संख्या – 11 / 2022**

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – खुमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल – सवाऊ पदमसिंह, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 365 / 234 रकबा 6.0703 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 194-198 दिनांकः–

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जेठाराम पुत्र गुमनाराम,
4. विप्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु